

सं.ई. 11016/01/2017-हिन्दी/752/800

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 07.06.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभागों और संगठनों द्वारा हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत को बढ़ाने के संबंध में।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31.03.2017 को आयोजित 68वीं बैठक में मंत्रालय के अनुभागों और संगठनों के पत्राचार के प्रतिशत की समीक्षा में पाया गया कि 31.12.2016 को समाप्त तिमाही की तुलना में कई अनुभागों में हिन्दी के पत्राचार के प्रतिशत में बढोत्तरी हुई है पर कुछ अनुभागों जैसे कमान क्षेत्र विकास, बाढ़ प्रबंधन, स्थापना-III, स्थापना-IV आदि और संगठनों जैसे एनपीसीसी, बेतवा नदी परिषद आदि में हिन्दी का पत्राचार राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत से कम है। इस पर समिति ने चिंता व्यक्त की और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभागों और संगठनों के अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए हिन्दी में कार्य करने एवं हिन्दी पत्राचार को उत्तरोत्तर बढ़ाने का ठोस प्रयास करने का अनुरोध किया है, ताकि हमारे मंत्रालय में राजभाषा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अतः मंत्रालय के सभी अनुभागों और संगठनों से आग्रह है कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(एम.सी.भारद्वाज)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23714374

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/प्रकोष्ठ।
 2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समस्त संगठनों के प्रमुख।
 3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
- मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर हिन्दी अनुभाग, परिपत्र के तहत कृपया इसे अपलोड करवाएं।